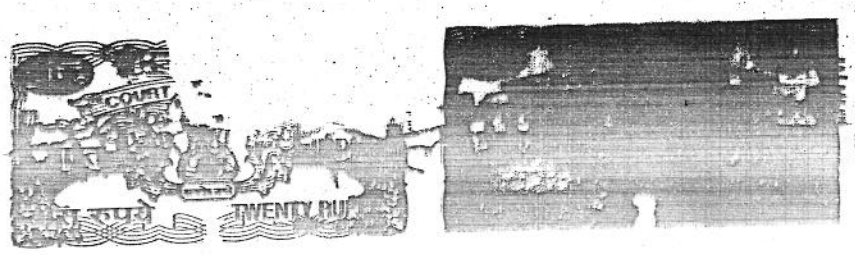

I/निग/छतरपुर/भू.रा./2017/2501

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

1– कन्हैयालाल पुत्र श्री विन्दे
2– देवी सिंह पुत्र श्री हरिसिंह
3– मंगल सिंह पुत्र श्री हरिसिंह
4– सहुद्रा पुत्री श्री हरि सिंह
5– रमेश बेवा हरि सिंह
6– खुमनी पत्नी परम कुशवाह
निवासीगण – झरिया खेडा वार्ड नं. 14 घुवारा तहसील घुवारा जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1– टीकाराम पुत्र श्री खुबचन्द्र
2– गोविन्ददास पुत्र श्री खुबचन्द्र
निवासीगण– वार्ड नं. 15 द्वारा तहसील घुवारा जिला – छतरपुर (म0प्र0)

–– अनावेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 1/8/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल घुवारा तहसील घुवारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम घुवारा में स्थित भूमि खसरा नं. 1273, 1274/1, 1274/2/2 रकवा 2.185 है0 भूमि के संबंध में अनावेदक टीकाराम पुत्र खुबचन्द्र द्वारा एक आवेदन पत्र भूमि का सीमांकन किये जाने बावत् न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल घुवारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण क्रमांक 49/अ–12/2016–17 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, आवेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र दिनांक 09.11.2016 का जारी किया गया था। जिसके आधार पर आवेदकगण विवादित स्थल पर उपस्थित हुये किन्तु राजस्व निरीक्षक सीमांकन स्थल पर उपस्थित नहीं हुये ... से सूचना भेजी गयी कि उपरोक्त भूमि का

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2501

कन्हैयालाल आदि विरूद्ध टीकाराम व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, तहसील घुवारा, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 49/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–04–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19	